संख्या 765/57–मत्स्य–2000–5(69)/81

प्रेषक,

प्रौमिला शकर,
सचिव,
पशुधन एवं मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 8 मार्च, 2000

विषय :–मत्स्य विभाग एवं मत्स्य विकास निगम के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणी के जलाशओं की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र-संख्या–669/कै०नि०म०/2000/सा०शा०, दिनांक 12-1-2000 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न श्रेणी के जलाशओं की प्रबन्ध व्यवस्था से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–2586/12–ई–3–1981, दिनांक 30 मई, 1981, संख्या 3563/12–मत्स्य–83, दिनांक 12-8-1983, संख्या 4184/57–मत्स्य-91–5(69)/81, दिनांक 31-10-1991, संख्या 3427/57–म-94–5(69)/81, दिनांक 2-8-94 तथा संख्या 218(1)/57–मत्स्य–95-5(69)/81, दिनांक 21-6-1995 को अवक्रमित करते हुए राज्यपाल महोदय मत्स्य विभाग/उ० प्र० मत्स्य विकास निगम के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणी के जलाशओं की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) मत्स्य विभाग एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अन्तर्गत आने वाले समस्त जलाशओं की नीलामी अभी तक तीन वर्ष की औसत आय को न्यूनतम आय के आधार पर कार्यवाही की जाती रही है। इसे तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम इन जलाशयों का आंकलन उनके जलक्षेत्र व मानकानुसार उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए करा लिया जाए कि वास्तव में इन जलाशयों से कितनी वार्षिक आय होनी चाहिये। समस्त जलाशयों की वार्षिक आय निर्धारण हेतु एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :—

(क) मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	अध्यक्ष
(ख) निदेशक मत्स्य द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(ग) जनपद प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी प्रबन्धक, उ०प्र० मत्स्य विभाग निगम लि०।	सदस्य सचिव

(2) यह समिति एक माह के भीतर समस्त जलाशयों (जिसमें श्रेणी 1, 2, 3 व 4 के जलाशय सम्मलित होंगे) आंकलन रिपोर्ट निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि० को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। श्रेणी एक तथा दो के जलाशयों की नीलामी के सम्बन्ध में यही समिति प्रत्येक नीलामी के तीन माह पूर्व उन जलाशयों का आंकलन कराकर रिपोर्ट निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि० के समक्ष प्रस्तुत करेगी, ताकि नीलामी समिति उसके आधार पर बढ़ोत्तरी का आंकलन कर सके। यह रिपर्ट नीलामी सीमित के लिए गाइड लाइन्स का कार्य करगी।

2—श्रेणी एक व श्रेणी दो के जलाशयों के लिए नीति–

(1) श्रेणी एक व दो के जलाशयों के ठेके की अवधि तीन वर्ष होगी। ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि की स्वीकृति की दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी। शेष वर्षों में ठेके की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक होगी।

(2) सभी जलाशयों का निस्तारण मण्डलीय मुख्यालय पर किया जायेगा। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ठेकेदार/मत्स्य जीवी सहकारी समिति में जिसकी भी बोली अधिक होगी, उसके पक्ष में ठेका उचित बोली प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। इस नीलामी की प्रक्रिया में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को श्रेणी एक तथा दो के जलाशयों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

(3) श्रेणी एक व श्रेणी दो के जलाशयों की नीलामी किये जाने हेतु उप/संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक नीलामी समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा :—

(अ) उप/संयुक्त विकास आयुक्त	अध्यक्ष
(ब) अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(स) सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अधिशासी प्रबन्धक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि०।	सदस्य

(4) उक्त समिति में सदस्य सचिव मत्स्य विभाग के जलाशयों के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य होंगे तथा उ० प्र० मत्स्य विकास निगम के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों के सदस्य सचिव अधिशासी प्रबन्धक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम होंगे।

(5) नीलामी समिति की संस्तुति पर श्रेणी एक के जलाशयों की ठेके की स्वीकृति निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास लि० द्वारा प्रदान की जायेगी, अर्थात् मत्स्य विभाग के श्रेणी एक के जलाशयों के ठेके की स्वीकृति नीलामी समिति की संस्तुति पर निदेशक मत्स्य द्वारा तथा मत्स्य विकास निगम के प्रबन्धान्तर्गत श्रेणी एक के जलाशयों के ठेके की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास लि० द्वारा प्रदान की जाएगी। श्रेणी दो के जलाशयों के सम्बन्ध में नीलाम समिति की स्वीकृति पर सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य द्वारा ठेके की स्वीकृति जारी की जायेगी।

(6) ठेके की किश्त नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोली वाले ठेकेदार/मत्स्य जीवी सहकारी समिति से प्रथम वर्ष की आधी धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी। शेष आधी धनराशि का भुगतान, ठेका स्वीकृति के तीन माह के अन्दर जमा करना होगा। द्वितीय वर्ष में ठेके के मूल्य में प्रथम वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगी एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ठेकेदार/समिति को एक चौथाई धनराशि 15 जून तक, एक चौथाई धनराशि 15 सितम्बर तक तथा शेष आधी धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करनी होगी। विशेष परिस्थित में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत धनराशि जमा न करने की स्थिति में देय तिथि से अधिकतम् एक माह का समय उप निदेशक मत्स्य/अधिशासी प्रबन्धक द्वारा दिया जा सकता है। इसके पश्चात् निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास लि० की संस्तुति पर दो माह तक का समय बढ़ा सकते हैं। किश्त देय की निर्धारित तिथि के पश्चात् जमा होने वाली धनराशि पर दो प्रतिशत प्रति माह ब्याज किश्त के साथ जमा करना होगा। देय तिथि तक किश्त न जमा करने पर ठेका समाप्त कर जलाशय पुनः नीलाम किया जाएगा।

(7) सम्बन्धित जलाशयों में मत्स्य बीज संचय का उत्तरदायित्व मत्स्य विभाग/उ० प्र० मत्स्य विकास निगम का होगा। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मत्स्य बीज का मूल्य व यातायात व्यय, मत्स्य विभाग/उ० प्र० मत्स्य विकास निगम को ठेके की किश्त के साथ प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। श्रेणी दो के जलाशयों में मत्स्य बीज संचय हेतु मत्स्य विभाग द्वारा ठेकेदार की सहमति से मत्स्य बीज मत्स्य विकास निगम/मत्स्य विभाग द्वारा या निजी हैचरियों से उपलब्ध कराया जायेगा। मत्स्य बीज संचय न करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है।

(8) समिति/ठेकेदार को ठेके की अवधि की नीलामी धनराशि की पांच प्रतिशत बतौर जमानत/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ०डी०आर० के रूप में अनुबन्ध-पत्र भरते समय मत्स्य विभाग/उ० प्र० मत्स्य विकास निगम के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेका समाप्त होने के 6 माह पश्चात् जमानत अवमुक्त की जायेगी। यदि समिति/ठेकेदार पर कोई धनराशि बकाया निकलती है तो जमानत से कटौती की जाएगी।

(9) मत्स्य जीवी सहकारी समिति/ठेकेदार द्वारा उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबंध-पत्र भरा जाएगा। स्टैम्प शुल्क सम्बन्धित ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगा। अनुबन्ध पत्र में प्रथम वर्ष एवं शेष वर्षों की किश्त जमा करने की समय-सारिणी में पूरे विवरण का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाएगा। अनुबन्ध पत्र पर समिति/ठेकेदार तथा मत्स्य विभाग/उ० प्र० मत्स्य विकास निगम की ओर से सहायक निदेशक मत्स्य/अधिशासी प्रबन्धक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। अनुबन्ध की मूल प्रति विभाग/मत्स्य विकास निगम के पास रहेगी तथा छाया प्रति समिति/ठेकेदार को देय होगी।

(10) समिति/ठेकेदार को शिकारमाही हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का ही प्रयोग करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रतिबन्धित साइज/भार डेढ़ किलोग्राम से कम की भारतीय मेजर कार्प एवं महाशेर की मछली नहीं निकाली जा सके। 01 जुलाई से 31 अगस्त तक जलाशय में शिकारमाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी। अवहेलना किये जाने पर मछली का मूल्य व जुर्माने का निर्धारण निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम ठेके के निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत होगा।

(11) जलाशय से मत्स्य निकासी का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा, किन्तु पूर्ण मत्स्य निकासी की तौल आदि कराकर उसका ब्यौरा विभाग/निगम द्वारा रखा जाएगा।

(12) ठेके की विस्तृत शर्तों का निर्धारण निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम द्वारा किया जाएगा, जो अनुबन्ध-पत्र का भाग होगा। ठेके से सम्बन्धित जमानत अवमुक्त करने का अधिकार मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम का होगा। जलाशय का ठेका निरस्त करने एवं जमानत जब्त करने का अधिकार निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम में निहित होगा।

(13) श्रेणी "एक" एवं "दो" के जलाशयों के ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में मामला मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थ की नियुक्ति निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम द्वारा की जाएगी।

3—श्रेणी "तीन" एवं श्रेणी "चार" के जलाशयों के सम्बन्ध में नीति :—

(1) जलाशयों से मछली निकालने का ठेका पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि ठेका स्वीकृति के दिनांक से प्रारम्भ 30 जून तक के लिए होगी। शेष वर्षों की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक होगी।

(2) श्रेणी तीन व चार के जलाशयों की न्यूनतम नीलामी राशि का निर्धारण प्रस्तर (1) में उल्लिखित समिति की आंकलन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

(3) श्रेणी तीन के जलाशयों का निस्तारण मण्डलीय मुख्यालय पर होगा, जिसके लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाएगी :—

(क) उप/संयुक्त विकास आयुक्त	अध्यक्ष
(ख) अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा नामित अधिकारी (सिंचाई विभाग के जलाशय के मामले में)	सदस्य
(ग) क्षेत्रीय उप निबन्धक सहकारी समितियां	सदस्य
(घ) मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति को जलाशय का निस्तारण करने की सम्पूर्ण शक्तियां प्रदत्त होंगी। स्वीकृति आदेश समिति के निर्णय के उपरान्त उप निदेशक मत्स्य द्वारा जारी किया जाएगा।

(4) श्रेणी चार के जलाशयों की नीलामी हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी तथा जलाशयों का निस्तारण जनपद मुख्यालय पर होगा :—

(क) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ख) जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
(ग) सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति को जलाशय के निस्तारण हेतु सम्पूर्ण शक्तियां प्रदत्त होंगी। स्वीकृति आदेश समिति के निर्णय के उपरान्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

4—जलाशयों की खुली नीलामी के प्रथम चक्र में केवल पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के बीच ही नीलामी की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। वांछित धनराशि न प्राप्त होने की दशा में द्वितीय नीलामी में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किया जाएगा, ठेका उच्चतम बोली बोलने वाले ठेकेदार/समिति को दिया जाएगा तथा प्रथम वर्ष की बोली को आधार मानते हुए आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

5—उच्चतम बोली बोलने वाली समिति/ठेकेदार को नीलाम समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। प्रथम वर्ष की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि ठेका स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी। ठेकेदार/समिति को द्वितीय वर्ष से पांचवे वर्ष तक ठेके की वार्षिक धनराशि का 1/4 भाग, 15 जून तक, 1/4 भाग, 15 सितम्बर तक एवं अवशेष 1/2 भाग 31 दिसम्बर तक प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वार्षिक किश्तों की अदायगी नहीं की जाती है तो देय तिथि से ठेका समाप्तकर पुनः नीलाम किया जा सकता है। समिति/ठेकेदार द्वारा लिखित अनुरोध पर उप निदेशक मत्स्य द्वारा विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दो प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अदा करने की स्थिति पर अवशेष धनराशि जमा करने की अवधि तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। ठेकेदार द्वारा तीन माह के बाद भी धनराशि न जमा करने पर ठेका निरस्तीकरण का प्रस्ताव निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा। श्रेणी चार के जलाशयों के सम्बन्ध में ठेका निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य में निहित होगा।

6—इन जलाशयों का कोई कोटा निर्धारित नहीं होगा परन्तु ठेकेदार द्वार निकाली गई मछली का ब्यौरा/तौल अवश्य रखा जायेगा।

7—श्रेणी तीन के जलाशयों को ठेके पर लेने वाली सहकारी समिति/ठेकेदार जलाशय में मत्स्य बीज संचय मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा में करायेंगे। मत्स्य बीज मूल्य ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वर्ष किश्त के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। मत्स्य बीज संचय हेतु धनराशि न जमा करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। श्रेणी चार के जलाशयों का ठेका लेने वाले व्यक्ति/समिति को मत्स्य बीज मूल्य की धनराशि प्रत्येक वर्ष ठेके की प्रथम किश्त के साथ जमा करना होगा तथा जलाशयों में प्रत्येक वर्ष निर्धारित मात्रा में मत्स्य बीज संचय करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में श्रेणी "चार" के ऐसे जलाशयों में मत्स्य बीज संचय की अनिवार्यता नहीं होगी, जहां पर कि पूरे वर्ष उक्त जलाशय में पानी उपलब्ध नहीं रहता हो। ऐसे प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य में निहित होगा।

8—ठेकेदार/समिति द्वारा जलाशय में शिकारमाही कार्यवाही हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप जाल की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा डेढ़ किलोग्राम से कम वजन की मछली नहीं निकाली जाएगी। ठेकेदार/समिति द्वारा एक जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिबन्धित अवधि में शिकारमाही कार्य नहीं किया जायेगा।

9—जमानत की धनराशि ठेके की धनराशि की पांच प्रतिशत होगी। श्रेणी तीन के जलाशयों की जमानत अवमुक्त करने का अधिकार क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य को होगा, किन्तु ठेका निरस्त करने का व जमानत जब्त करने का अधिकार निदेशक मत्स्य में निहित होगा। श्रेणी चार के जलाशयों के जमानत अवमुक्त करने का अधिकार क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य को होगा। जमानत जब्त करने एवं ठेका निरस्त करने का अधिकार भी क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य में निहित होगा।

10—अनुबन्ध की शर्तें ठेका निरस्तीकरण आदि के सम्बन्ध में अनुबन्ध प्रारूप निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम द्वारा तैयार कराया जाएगा।

भवदीया,
प्रौमिला शंकर,
सचिव।

संख्या 765 (1)/57–मत्स्य–2000–5 (69)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।
4—प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ।
5—प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
6—निदेशक पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8—निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9—समस्त उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10—समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
11—समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12—समस्त अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), उ० प्र०/समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13—समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14—गार्ड फाइल हेतु एक प्रति।

आज्ञा से,
राम कुमार प्रसाद,
उप सचिव।

संख्या 765 (2)/57–मत्स्य–2000–5 (69)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :—

1—मा० पशुधन एवं मत्स्य मंत्री जी के निजी सचिव।
2—मा० पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री जी के निजी सचिव।

आज्ञा से,
राम कुमार प्रसाद,
उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 मत्स्य—10-04-2000—(92)—5,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।